उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–06/2022–23

सरकार

–बनाम–

निकेता कुमारी

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –1302/अप0 शा0 दिनांक – 24.05.2022 के द्वारा वादी पु0अ0 नि0 विवेक चौधरी पे0–महेश चौधरी सा0–चोरगता थाना– जमुआ जिला –गिरिडीह सम्प्रति पु0 अ0 नि0 के पद पर गुमला थाना में पदस्थापित जिला– गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर गुमला थाना काण्ड सं0–65/2022 दिनांक–07.03.2022 धारा–20 (B)(ii)(C/29 NDPS Act के तहत् अवैद्य गांजा संचय, बिक्री एवं परिवहन करने के आरोप जप्त स्कॉपियों निबंधन सं0 – JH12K- 8104 के मालिक निकेता कुमारी पति विनय कुमार सिंह भदनी रोड़ कोड़रमा स्थायी पता–ग्राम–मेदनीपुर थाना– नसरीगंज जिला–रोहतास बिहार के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया । उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत वाद में जप्त वाहन के विरुद्ध लाया गया राजसात की कार्रवाई हेतु समर्पित एफ0 आई0 आर0 False एवं Fabricated है।

लोक अभियोजक गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NDPS Act NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT-1985 का धारा–60 में Confiscation का प्रावधान है परन्तु Confiscation की कार्रवाई विशेष न्यायायल द्वारा ही की जा सकती है। इस सबंध में The NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT-1985 का धारा द्रष्टव्य।

अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में प्रश्नगत वाद की कार्रवाई बिना फलाफल के समाप्त की जाती है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला/लोक अभियोजक, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

18.12.22

उपायुक्त,
गुमला

18.12.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.12.31 13:23:05 +05:30
Location: 192.168.5.105